

# चक्रवाती तूफान

गर्मी के मौसम में कमोबेश राज्य के सभी जिलों में चक्रवाती तूफान आते हैं। राज्य के पूर्वीतर जिलों में वर्ष 2010 एवं 2015 में चक्रवाती तूफान के कारण जन-जीवन प्रभावित हुआ था तथा जन-धन की भारी क्षति हुई थी। चक्रवाती तूफान के अलावा गर्मी के मौसम में राज्य के कमोबेश सभी जिलों में आँधी की घटनाओं के चलते जन-धन की भी क्षति होती है।

## चक्रवाती तूफान/तेज आँधी से बचने के उपाय:-

1. जब तक आँधी तूफान शांत न हो जाय, तब तक घर से बाहर न निकलें।
2. आवास में ऊपरी तलों की अपेक्षा भूतल पर रहें।
3. पेड़ों के नीचे न रहें।
4. बाहर निकलने से पहले आश्वस्त हों कि आँधी तूफान थम गया है।
5. रेडियो और टीवी पर मौसम के साफ होने का संदेश प्रसारित होने का इंतजार करें।
6. पुराने और क्षतिग्रस्त भवनों और पेड़ों के नजदीक आश्रय लेने से बचें।
7. बिजली और टेलीफोन के खंभों के नीचे न खड़े हों। खंभों के गिरने से शारीरिक क्षति हो सकती है।
8. घर से बाहर होने पर किसी छतदार मकान से आश्रय लें।





## चक्रवाती तूफान या आँधी से बचाव हेतु छालदार छत का निर्माण:-

- \* वायु गति के प्रभाव से बचने के लिये, एक या दो तरफ ढाल के बदले, चारों तरफ ढालने वाली छत बनाना चाहिए। वर्षा से दीवारों के बचाव हेतु चारों तरफ छत 18 इंच तक लटका सकते हैं। लटके हुए कड़ी के अंतिम पर्लिन को दीवार के साथ कसकर बाँधना चाहिए।
- \* वायु चूषण के कारण छत को ऊपर उठने के प्रभाव को कम करने के लिए, छत की ढाल  $2:1$  ( $2$  पड़े :  $1$  खड़े) अपनाएं।
- \* स्टील चादर वाली छतों की संरचना ढाँचे में बाँस की मुख्य कड़ी  $600$  मि.मी. से अधिक दूरी पर नहीं रखी जाये। खपरैल छतों में यह  $300$  मि.मी. से अधिक नहीं होनी चाहिए। खपरैल छतों में तार (GI wire) से तिरछा बन्धनी लगाएं।
- \* छत के जस्ती स्टील चादर (GI sheet) को, अलकतरा वाशर एवं लोहे के वाशर के साथ, J बोल्ट के सहारे या पेंच के सहारे, छत की कड़ी (पर्लिन) से जकड़ दें।
- \* जहाँ आँधी का प्रकोप ज्यादा हो तो U बोल्ट लगायें। यदि टोपीदार कील का उपयोग करना हो तो, वे इतने लम्बे हों कि कड़ी की दूसरी तरफ कील पार कराकर मोड़ा जा सके। इन कीलों अथवा J बोल्टों की परस्पर दूरी  $18$  इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। छत के निचले भाग के उपर स्टील की बत्ती लगाकर, J बोल्ट के सहारे सबसे निचले पर्लिन के साथ बाँध सकते हैं।



**बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण**  
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY





बिहार भारत के सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्यों में से एक है। राज्य के 28 जिले बाढ़ प्रवण हैं, जिनमें से 15 जिले अति बाढ़ प्रवण हैं। राज्य की कुल आबादी के लगभग 76 प्रतिशत लोग बाढ़ प्रवण क्षेत्र में रहते हैं। नेपाल से सटा बिहार का मैदानी इलाका कोसी, महानंदा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, बागमती, अधवारा समूह की नदियों का क्षेत्र है, जो बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होता है। गंगा नदी बिहार में बक्सर से कटिहार तक गुजरती है, जिसके किनारे बसे 12 जिले अक्सर बाढ़ से प्रभावित होते हैं। सोन, पुनपुन तथा फल्गु नदी में भी समय समय पर बाढ़ आती है। अन्य छोटी-छोटी नदियों भी बिहार को प्रभावित करती हैं।

- ◆ अगर आपका घर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हो तो मकान मजबूती से सीमेंट आदि से बनवाएं। बाढ़ से मिट्टी के घर सबसे जल्दी ढह जाते हैं।
- ◆ घर के सभी सदस्यों को नजदीकी सुरक्षित आश्रय का पता हो।
- आपातकालीन किट हमेशा अपने पास रखें, जिसमें एक छोटी रेडियो, टॉर्च, बैटरी, मजबूत रस्सी, माचिस, मोमबत्ती, पानी, सूखा भोजन, खाद्य सामग्री आदि हों।
- पालीथीन बैग या वाटरप्रूफ बैग आदि रखें जिसमें कपड़े, महंगे सामान, छाता, चीनी, नमक, और लकड़ी (सांप वगैरह भगाने के लिए)
- मजबूत रस्सी एवं एक लम्बी लकड़ी अपने पास हमेशा रखें।
- ◆ चेतावनी व सुझाव के लिए रेडियो सुने या टी वी देखें और स्थानीय अधिकारियों की चेतावनियों पर ध्यान रखें।
- ◆ अफवाह पर ध्यान न दें और न ही घबराएँ।
- ◆ बाढ़ से पहले बैलगाड़ी, कृषि उपयुक्त समान और पालतू जानवरों को ऊँची सुरक्षित जगह पर ले जाएं।
- ◆ बाढ़ के दौरान खाना ढंक कर रखें। हल्का भोजन करें एवं उबला हुआ पानी पिएं।
- ◆ चाय, चावल का पानी, नासियल पानी आदि का दस्त के समय सेवन करें और ORS व अन्य उपचार के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र को संपर्क करें।
- ◆ बाढ़ पीड़ितों के राहत सामग्री बांटने में मदद करें।
- ◆ सबसे पहले गर्म कपड़े, जरूरी दवाएँ, कीमती वस्तुएं, निजी कागज आदि को वॉटर प्रूफ बैग में डाल कर उन्हें आपातकालीन बॉक्स में अपने साथ रख लें।
- ◆ अगर पानी की गहराई की जानकारी न हो तो उसे कभी भी पार करने की कोशिश न करें।
- ◆ ऐसे किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन न करें जो कि बाढ़ के पानी से प्रभावित हुआ हो।
- ◆ नल के पानी को उबालकर तब तक पीयें जब तक कि संबंधित विभाग द्वारा हैलोजेन की गोलियां पानी में डालने के लिए उपलब्ध न करा दी गई हों।
- ◆ सांपों एवं अन्य जहरीले जन्तुओं से बचकर रहें।
- ◆ बच्चों को बाढ़ के पानी के पास खेलने से रोकें।



# ठनका (वज्रपात) अथवा आसमानी बिजली गिरने से बचाव हेतु सुरक्षा के उपाय से संबंधित सलाह (Advisory)

सामान्यतया मानसून पूर्व एवं मानसून की बारिश के समय प्रायः आसमान में बिजली कड़कती/चमकती है तथा आसमानी बिजली/वज्रपात/ठनका गिरने से आमजन प्रभावित होते हैं। ठनका गिरने से जन-धन को होने वाली हानि से बचाव के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि हम ठनका से बचने के लिए थोड़ी सावधानी बरतें।

## आसमान में बिजली के चमकने/गरजने/कड़कने के समय

- 
- ✓ यदि आप खुले में हों तो शीघ्रतिशीघ्र किसी पक्के मकान में शरण लें।
  - ✓ सफर के दौरान अपने वाहन में ही बने रहें।
  - ✓ खिड़कियाँ, दरवाजे, बरामदे एवं छत से दूर रहें।
  - ✓ ऐसी वस्तुएँ, जो बिजली की सुचालक हैं, उनसे दूर रहें।
  - ✓ बिजली के उपकरणों या तार के साथ संपर्क से बचें व बिजली के उपकरणों को बिजली के संपर्क से हटा दें।
  - ✓ तालाब और जलाशयों से भी दूरी बनायें रखें।
  - ✓ समूह में न खड़े हों, बल्कि अलग-अलग खड़े रहें।
  - ✓ यदि आप जंगल में हो तो बैने एवं घने पेड़ों के शरण में चले जायें।
  - ✓ बाहर रहने पर धातु से बनी वस्तुओं का उपयोग न करें। बाइक, बिजली या टेलीफोन का खंभा, तार की बाड़, मशीन आदि से दूर रहें।
  - ✓ धातु से बने कृषि यंत्र- डंडा आदि से अपने को दूर कर दें।
  - ✓ आसमानी बिजली के झटके से घायल होने पर पीड़ित व्यक्ति को तत्काल नजदीकी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र ले जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
  - ✓ स्थानीय रेडियो अन्य संचार साधनों से मौसम की जानकारी प्राप्त करते रहें।
  - ✓ यदि आप खेत खलिहान में काम कर रहे हों और किसी सुरक्षित स्थान की शरण न ले पायें हों तो –
    - (क) जहां हैं वहीं रहें, हो सके तो पैरों के नीचे सूखी चीजें जैसे- लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें।
    - (ख) दोनों पैरों को आपस में सटा लें एवं दोनों हाथों को घुटनों पर रख कर अपने सिर को जमीन के तरफ यथा संभव झुका लें तथा सिर को जमीन से न सटाएं।
    - (ग) जमीन पर कदापि न लेटें।
      - ❖ उँचे इमारत वाले क्षेत्रों में शरण नहीं लें।
      - ❖ साथ ही बिजली एवं टेलीफोन के खंभों के नीचे कदापि शरण नहीं लें, क्योंकि उँचे वृक्ष, उँची इमारतें एवं टेलीफोन/बिजली के खंभे आसमानी बिजली को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
      - ❖ पैदल जा रहे हों तो धातु की डंडी वाले छातों का उपयोग न करें।
      - ❖ यदि घर में हों तो पानी का नल, फिज, टेलीफोन आदि को न छूएँ।
    - ✓ ठनका के मामले में मृत्यु का तात्कालिक कारण हृदयाधात है। अगर जरूरी हो तो “संजीवन क्रिया, प्राथमिक चिकित्सा” (Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)) प्रारंभ कर दें।
    - ✓ “संजीवन क्रिया, प्राथमिक चिकित्सा” (Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)) देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रभावित व्यक्ति के शरीर से विद्युत का प्रभाव न हो रहा हो।
    - ✓ यह सुनिश्चित कर लें कि पीड़ित की नाड़ी एवं श्वास चल रही हो।



# झुकाप



## यदि आप घर/इमारत के अन्दर हैं :

- झुकें, कवर करें और पकड़ें – किसी मेज या मजबूत फर्नीचर के नीचे झुकें, एक हाथ से सिर को कवर करें और दूसरे हाथ से फर्नीचर को पकड़ें।
- मार्ग में खड़े न हो।
- खिड़कियों, आईनों, किताबों की अलमारियों और अन्य असुरक्षित भारी वस्तुओं से दूर रहें।
- बाहर की तरफ न भागें।

## यदि आप घर के बाहर हैं :

- खुले मैदान की ओर दौड़ें।
- मकान, ऊँची दीवार, विद्युत तार आदि जैसी संरचनाओं से दूर भागे जो गिर सकते हैं।
- यदि आप किसी ऊँचे मकान के नजदीक या संकीर्ण सड़क पर हों तो पोर्च/ओसारा या चौखट के नीचे आश्रय लें ताकि गिरते मलबे से बच सकें।

## यदि आप स्टेडियम, पण्डाल, सभागार में हैं :

- बाहर की तरफ न भागें। अपनी जगह पर रहते हुए अपने सिर को हाथ से ढक लें। झटके रूक जाने तक धैर्य बनाये रखें। तत्पश्चात् व्यवस्थित रूप से बाहर निकलें।
- बच्चों, बूढ़ों एवं विकलांगों को पहले बाहर निकलने दें।
- भगदड़ न मचायें।

## भूकम्प के झटके रूक जाने के बाद :

- यदि आप स्वयं धायल हैं तो पहले अपना उपचार करायें और यदि आप सुरक्षित हैं तो दूसरों की मदद करें।
- अपना धैर्य और संयम बनाए रखें एवं प्रभावित व्यक्तियों की मदद करें।
- अगर कहीं आग लगी हो तो तुरन्त अग्निशमन सेवा (101) एवं पुलिस नियंत्रण कक्ष (100) के सूचित करें।





# बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

## BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY




# आगलगी

अतएव आगलगी से बचाव हेतु जनसाधारण को निम्नानुसार सलाह दी जा रही है :-

- आगलगी से बचाव हेतु उपाय :-
- दिन का खाना 9 बजे सुबह से पूर्व तथा रात का खाना शाम 6 बजे के बाद बना लें।
- कटनी के बाद खेत में छोड़े डंठलों में आग नहीं लगावें।
- हवन आदि का काम सुबह निपटा लें।
- भोजन बनाने के बाद चूल्हे की आग पूरी तरह से बुझा दें।
- रसोई घर यदि फूस का हो तो उसकी दीवाल पर मिट्टी का लेप अवश्य कर दें।
- रसोईघर की छत ऊँची रखी जाये।
- आग बुझाने के लिए बालू अथवा मिट्टी बोरे में भरकर तथा दो बाल्टी पानी अवश्य रखें।
- दीपक (दीया), लालटेन, मोमबत्ती को ऐसी जगहों पर न रखें जहाँ से गिरकर आग लगने की संभावना हो।
- शार्ट सर्किट को आग से बचने के लिए बिजली वायरिंग की समय पर मरम्मत करा लें।
- मवेशियों करो आग से बचाने के लिए मवेशी घर के पास पर्याप्त मात्रा में पानी का इंतजाम एवं निगरानी अवश्य करते रहें।
- घर में किसी भी उत्सव के लिए लगाये गए कनात अथवा टेण्ट के नीचे से बिजली के तारों को न ले जायें।
- बिजली के लूज तारों से निकली चिनगारी भी आग लगने का कारण बन जाती है। अतएव जहाँ कहीं लूज तार दिखे उसकी सूचना बिना देर किये उर्जा विभाग/संबंधित बिजली कंपनी के अभियंताओं को दिया जाए।
- जलती हुई माचिस की तीली अथवा अधजली बीड़ी एवं सिगरेट पीकर इधर-उधर न फेंकें।

दोषों वाली घटनाएँ हो सकती हैं। आग से हमारे घर, खेत, खलिहान एवं जान-माल की क्षति हो सकती है। हम सब अगलगी को मिलकर साथीक सकते हैं और हम यों दृढ़ी सावधानी बरतें।

- जहाँ पर सामुहिक भोजन इत्यादि का कार्य हो रहा हो, वहाँ पर दो से तीन झूम पानी अवश्य रखा जाये। भोजन बनाने का कार्य तेज हवा के समय नहीं किया जाये।
- खाना बनाते समय ढीले ढाले और पॉलिस्टर के कपड़े पहनकर खाना ना बनायें, हमेशा सूती कपड़ा पहनकर ही खाना बनायें।
- सार्वजनिक स्थलों, ट्रेनों एवं बसों आदि में ज्वलनशील पदार्थ लेकर न चलें।
- ग्रामीण क्षेत्रों में हरा गेहूँ, खेसारी, छिमी, भी बच्चे लाकर भूनते हैं। ऐसे में आग लगने से बचने के लिए उनपर निगरानी रखें।
- आग लगने पर समुदाय के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास करें।
- आग लगने पर फायर बिग्रेड (101 नम्बर) एवं प्रशासन को तुरंत सूचित करें एवं उन्हें सहयोग करें।
- अगर कपड़ों में आग लगे तो जमीन पर लेटकर आग बुझाने का प्रयास करें।



# नाव दुर्घटना से बचने के उपाय

मॉनसून की वर्षा के कारण नदियों उफान पर हैं। ऐसे में नदियों में नावों के परिचालन के दौरान विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। सावधानी नहीं बरतने से नाव दुर्घटनाएँ होती हैं जिनमें बहुमूल्य जिन्दगियाँ काल के गाल में समा जाती हैं।

## नाव परिचालन से पहले लकड़िए! सोचिए!

### नाव की सवारी करने वाले कृपया ध्यान दें

- जिस नाव पर पंजीकरण संख्या अंकित हो उसी नाव से यात्रा करें।
- जिस नाव पर लदान क्षमता दर्शाते हुए सफेद पट्टी का निशान लगी हो उसी नाव से यात्रा करें।
- किसी भी स्थिति में ओवर लोडेड नाव पर न बैठें।
- नाव चलने से पहले देख लें कि लदान क्षमता दर्शाने वाला सफेद पट्टी का निशान ढूबा तो नहीं है। अगर ढूबा है तो तुरंत उत्तर जायें।
- जब बारिश हो रही हो तो नाव की यात्रा न करें।
- छोटे बच्चों को अकेले नाव की यात्रा न करने दें।
- जिस नाव जानवर ढोये जा रहे हों तो उसमें यात्रा न करें।
- जर्जर/टूटी-फूटी नाव पर सवारी न करें। यह जानलेवा हो सकता है।
- जिस नाव पर जीवन रक्षा के लिए लाईफ जैकेट, लाईफ बॉय के साथ प्राथमिक उपचार बॉक्स एवं रस्से आदि ठीक तरीके से रखे हो उसी नाव से यात्रा करें।
- नाव में यात्रा के दौरान शांत बैठें व उत्तरते-चढ़ते समय क्रम से ही नाविक के निर्देशानुसार उतरें व चढ़ें।
- सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद नाव की यात्रा न करें। यह खतरनाक हो सकती है।
- नाव यात्रा के दौरान किसी तरह की जल्दीबाजी न दिखाएँ और नाविक के उपर किसी तरह का दबाव न डालें।

### नाविक या नाव मालिक कृपया ध्यान दें

- जब तेज हवा /खराब मौसम/आँधी/बारिश हो रही हो तो नाव का संचालन न करें।
- जिस नाव पर 15 से 30 लोगों तक सवारी बैठती हो तो उस नाव पर 2 नाविक होना अनिवार्य है तथा 30 से उपर बैठाने वाली बड़ी नाव पर 3

नाविकों का होना अनिवार्य है।

- बीमार व्यक्तियों/गर्भवती माता को नाव पर चढ़ाने में प्राथमिकता दें।
- किसी यात्री को किसी भी दशा में नाव संचालन न दें।
- नाव पर किसी तरह का नशा सेवन करने से यात्रियों को रोकें।
- जिस नाव पर जानवर ढोये जा रहे हों तो उस नाव में जानवर के मालिक के अलावा अन्य सवारी न बैठायें।
- किसी भी तरह की नाव, चाहे उस पर सवारी ढोयी जा रही हो अथवा जानवर या सामान, सभी नाव पर लदान क्षमता का निशान लगाना अनिवार्य है।
- नाव पर ऐसा कोई भी सामान या खतरनाक सामग्री, सॉप आदि नहीं ढोया जाएगा जिससे अन्य यात्रियों को किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न होता हो।
- नाव से पानी निकालने/उलीचने के लिए नाव में आवश्यक बर्तन रखें।
- रात में नाव का परिचालन न करें। यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकार की अनुमति प्राप्त कर विशेष रोशनी के साथ करें।
- मानसून अवधि में सूर्योदय के पूर्व एवं 5:30 बजे शाम के बाद नाव का परिचालन न करें।


### जिला प्रशासन कृपया ध्यान दें

- बिना निबंधन के कोई भी नाव चाहे वह किसी भी उद्देश्य (व्यक्तिगत/संस्थागत) के लिए प्रयोग की जा रही हो, उसका परिचालन गैर कानूनी है। बगैर निबंधन के नाव का परिचालन नहीं होने दें।
- नावों में अलग से डीजल इंजन/मशीन बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमति के नहीं लगाया जा सकता है। इसे सुनिश्चित किया जाए।

- घाटों पर प्रशिक्षित तैराकों, गोताखोरों एवं नजदीकी पुलिस थाना एवं जिला प्रशासन के प्रमुख पदाधिकारी का फौन नंबर अवश्य प्रदर्शित कराया जाए।
- सुनिश्चित किया जाए कि नावों पर लदान क्षमता के तथा सफेद पट्टी का निशान हर हाल में अंकित रहे ताकि यात्री समझ सकें कि नाव में कितने लोगों के बैठने की क्षमता है।
- नाव संचालन के संबंध में बिहार सरकार के बंगाल नौ-घाट अधिनियम, 1885 के अधीन आदर्श नियमावली, 2011 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
- मॉनसून अवधि में सूर्योदय के पूर्व एवं 5:30 बजे शाम के बाद नाव के परिचालन पर रोक लगा दी जाए।
- नजदीकी पुलिस थाना, गोताखोरी एवं प्रशिक्षित का नंबर घाटों पर अवश्य अंकित कराया जाए।



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY



# सड़क सुरक्षा के उपाय

बिहार में सड़क दुर्घटनाएं काफी भारी संख्या में होती हैं। नई—नई सड़कों के निर्माण एवं गाड़ियों की बढ़ती संख्या से भी दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं क्योंकि ऐसा देखा गया है कि हम सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करते और थोड़ी सावधानी बरतकर एवं सजग होकर हम निम्नलिखित नियमों का पालन कर इन दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं :

## सड़क सुरक्षा के निम्न उपायों को अपनाकर हम अपने और अपनों की जिन्दगी बचा सकते हैं

- ✓ सड़क पार करते समय दायें, बायें देख कर ही पार करें। यदि कोई तेज वाहन आ रहा हो तो उस समय सड़क पार न करें।
- ✓ सड़क के बायें चलें एवं सड़क चिन्हों का अनुसरण करें।
- ✓ जहाँ तक संभव हो एवं जेबा लाइन अंकित हो, वहाँ जेबा लाइन से ही सड़क पार करें।
- ✓ सड़क पर चलते समय या सड़क पार करते समय कान में इयरफोन लगा कर न चलें।
- ✓ वाहन हमेशा सड़क के बायी ओर और निर्धारित गति सीमा में चलायें।
- ✓ दुपहिया वाहन चालक और उनके पीछे बैठने वाली सवारी हमेशा हेलमेट पहन कर चलें।
- ✓ कार या अन्य चार पहिया वाहन या उससे बड़े वाहन चालक हमेशा सीट बेल्ट बांध कर गाड़ी चलायें। कार एवं अन्य चार पहिया वाहन की अगली सीट पर बैठे यात्री भी सीट बेल्ट बांध लिया करें।
- ✓ नशा न करें तथा नशे की हालत में गाड़ी कदापि न चलाएं। नशे में गाड़ी चलाना अपनी मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा होगा।
- ✓ ट्रैफिक के नियमों और संकेतों का पालन करें।
- ✓ गाड़ी दाये और बायें मुड़ते समय, गाड़ी रोकते समय और गाड़ी धीमी करते समय संकेत (Indicator) अवश्य दें।
- ✓ किसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक उपचार दें और उसे तुरंत किसी नजदीकी चिकित्सालय में ले जायें। नये कानून के अनुसार घायल का इलाज सबसे पहले करें। इसमें पुलिस की प्रतीक्षा करने की कोई कानूनी
- ✓ बाध्यता नहीं है।  
वाहन सवार एवं पैदल यात्री एम्बुलेंस एवं अग्निशामन सेवा की गाड़ियाँ जाने के लिए रास्ता छोड़ दें।
- ✓ गाड़ी हमेशा सड़क के बायें किनारे पर खड़ी करें। साथ ही हमेशा बायीं तरफ से हीं उतरें।
- ✓ गाड़ी का दरवाजा खोलते समय पीछे से आने वालों की सुरक्षा का ध्यान रखें।
- ✓ सड़क का चौराहा/तिराहा आने के पूर्व वाहन की गति धीमी कर लें एवं उसे पार करने के पूर्व दाहिने और बायें देखें एवं सावधानी बरतें।
- ✓ गाड़ी चलाते समय सेल्फी न लें इससे दुर्घटना हो सकती है।
- ✓ शांत दिमाग से एवं धैर्यपूर्वक सामान्य गति से गाड़ी चलायें।
- ✓ रेल फाटक या लाइन पार करते समय रेलवे लाईन के दोनों ओर देख कर ही ध्यान से पार करें।



# फसलों के अवशेष/डंठल/ठूँठ/भूसा को जलाने से होने वाले नुकसान से संबंधित सलाह (Advisory)

राज्य के कृतिपय जिलों से गेहूँ फसल की कटनी के बाद खेतों में छोड़े गये डंठलों को जलाने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। डंठल जलाए जाने के फलस्वरूप आग लगने की घटनाएँ तेजी से हो रही हैं। साथ ही पर्यावरण प्रदूषण के साथ ही मिट्टी की उपजाऊ क्षमता पर भी कुप्रभाव पड़ रहा है।

अतएव राज्य के किसानों को राज्य सरकार के आदेशानुसार यह सलाह (Advisory) दी जा रही है कि वे फसल कटनी के बाद खेतों में छोड़े गये डंठलों को कदापि नहीं जलायें। इस सलाह (Advisory) का अनुपालन नहीं करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 के तहत दोषी, जुर्माना एवं जेल की सजा के भागी हो सकते हैं।

## फसलों के अवशेष/डंठल/ठूँठ/भूसा जलाने से होने वाले नुकसान निम्न हैं:-

- पड़ोस के खेत/घर में आग का खतरा पड़ जाता है और प्रायः आग भी लग जाती है। बड़ी तबाही तथा जान-मान का नुकसान होता है।
- बचे हुए अन्न के दानों एवं भूसे की हानि होती है।
- खेतों में मिट्टी के लिए जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं।
- उपजाऊ शक्ति में कमी हो जाती है।
- फसलों के बचे हुए डंठलों/अवशेष/ठूँठ को जलाने से जमीन में नाईट्रोजन की कमी होती है जिससे उत्पादन घटता है।
- मिट्टी में मौजूद रोगाणु मर जाते हैं। जिससे कार्बन अवशोषण में कमी हो जाती है।
- वातावरण में वायु प्रदूषण फैलता है, जिससे लोगों के सेहत जैसे की फेफड़ा और बिल की बीमारी का खतरा पैदा होता है।



## फसलों के अवशेष/डंठल/ठूँठ/भूसा नहीं जलाने से होने वाले लाभ निम्न हैं:-

- खेत में डंठल को मिलाने से:
- नाईट्रोजन की मात्रा बढ़ती है एवं कम खाद की आवश्यकता पड़ती है।
- यह भूमि की उर्वरता को बनाये रखने का प्रमुख स्रोत है।
- इससे मृदा क्षारण नहीं होता है।
- भूमि के जल ग्रहण की क्षमता बनी रहती है।
- लाभदायक सूक्ष्म जीवों के प्रजनन एवं वृद्धि के लिए आवश्यक है।
- वातावरण शुद्ध रहता है।
- वायु प्रदूषण से बचाव होता है।
- मरीनों के प्रयोग से समयानुसार बुआई हो जाता है।
- स्ट्रा बेलर द्वारा बनाये गये गट्ठे वायोगैस पावर जेनरेशन प्लांट को बैचकर आमदनी में वृद्धि हो सकती है।



## समाधान

खेत में फसलों के अवशेष/डंठल/ठूँठों का स्ट्रा बेलर, रीपर बाईंडर एवं स्ट्रा रोपर द्वारा समुचित उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार मल्चर/एम.बी. प्लाव एवं रोटावेटर के प्रयोग से फसलों के अवशेष/डंठल/ठूँठों को मिट्टी में मिलाकर कम्पोस्ट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

**जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के अध्यक्ष-सह-जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे भी अपने जिलों में इस सलाह (Advisory) को सर्वसाधारण एवं किसानों की जानकारी हेतु जारी करें।**



**बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY**



# नदियों/तालाबों/गड्ढों में डूबने की बढ़ती घटनाओं को रोकने हेतु जिला प्रशासन एवं राज्य की जनता को जरूरी सलाह

देश और राज्य में मौतसून का आगमन हो गया है। मानसून की वारिश के कारण नदियाँ उफना गयी हैं। देखा जा रहा है कि उफनायी नदियों/तालाबों/गड्ढों में स्नान करने एवं बर्तन धोने जैसे रोजाना के काम के दौरान बच्चों/किशोर/किशोरियों एवं अन्य व्यक्तियों की मृत्यु डूबने के कारण हो रही है। कई घरों के चिराग बुझ गये हैं। यह स्थिति संबंधित परिवारों के लिए त्रासद है। इन बहुमुल्य जिन्दगियों को बचाने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें:

## क्या न करें:-

- खतरनाक घाटों के किनारों पर न जायें और न ही बच्चों को जाने दें।

## क्या करें:-

- बच्चों को नदी/तालाबों/तेज पानी के बहाव में स्नान करने से रोकें।
- बच्चों को पुल/पुलिया/उंचे टीलों से पानी में कूद कर पानी में स्नान करने से रोकें।
- यदि बहुत ही आवश्यक हो तो ही नदी के किनारे जायें, परन्तु नदी में उत्तरत समय गहराई का ध्यान रखें।
- यदि तैरना जानते हों तभी नदियों/तालाबों/घाटों के किनारे जाएँ।
- नदी में उत्तरते समय गहराई का ध्यान रखें।
- डूबते व्यक्ति को धोती, साड़ी, रस्सी या बांस की सहायता से बचायें तथा तैरना नहीं जानते हों तो स्वयं पानी में न जायें और सहायता के लिए पुकारें।
- गांव/टोले में डूबने की घटना होने पर आस—पास के लोग आपस में एकत्रित होकर ऐसी दुःखद घटना की चर्चा अवश्य करें, कि किस कारण से इस तरह की घटना हुई और ऐसा क्या किया जाए कि, इस तरह की घटना फिर कमी न हो।



- (ङ) प्रभावित व्यक्ति खांसने/बोलने/सांस ले सकने की स्थिति में हैं तो उसे ऐसा करने के लिए प्रात्साहित करें।
- (च) यदि प्रभावित व्यक्ति का पेट फूला हुआ है तो पूरी संभावना है कि उसने पानी पी लिया होगा, अतः पेट से पानी निकालने की प्रक्रिया शुरू करें।
- (छ) उपरोक्त प्रक्रिया के बाद बचाये गये व्यक्ति को नजदीकी डॉक्टर अथवा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर ले जायें।
- (ज) डॉक्टर या प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर ले जाने के लिए स्थानीय रस्तर पर जो भी साधन उपलब्ध हो उसका प्रयोग करें या 108/102 पर फोन कर एम्बुलेंस बुला लें।
- (झ) डूबे हुए व्यक्ति के पेट के बल सुलाएँ तथा पेट के नीचे तकिया या छोटा बर्तन जो भी उपलब्ध हो उसे लगा दें। इसके बाद पीठ के निचले हिस्से पर धीरे—धीरे दबाकर पानी बाहर निकालें।
- (ट) डूबे हुए व्यक्ति को पुनः उठाकर पीठ के सहारे सुलाएँ तथा आराम करने दें।
- (ङ) मूर्छा या बेहोशी आने पर पुनः साँस देने व छाती में दबाव देने की प्रक्रिया शुरू करें।
- (ङ) उपरोक्त प्रक्रिया के बाद बचाए गये व्यक्ति को अविलम्ब नजदीकी डॉक्टर अथवा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर ले जाएँ।



## डूबे हुए व्यक्ति को पानी से निकालकर तत्काल प्राथमिक उपचार निम्न प्रकार करें:-

- (क) सबसे पहले देख लें, यदि डूबे हुए व्यक्ति के मुँह व नाक में कुछ फंसा हो तो निकाल दें।
- (ख) नाक और मुँह पर ऊँगलियों के स्पर्श से जांच कर लें कि डूबे हुए व्यक्ति की सांस चल रही है कि नहीं।
- (ग) नब्ज की जांच करने के लिए गले में किनारे के हिस्सों में ऊँगलियों से छूकर जानकारी प्राप्त करें कि नस चल रही है कि नहीं।
- (घ) नब्ज व सांस का पता नहीं चलने पर डूबे व्यक्ति के मुँह से मुँह लगाकर दो बार भरपूर सांस दें व 30 बार छाती के बीच में दबाव दें तथा इस विधि को 3–4 बार दुहरायें। ऐसा करने से धड़कन वापस आ सकती है व सांस चलना शुरू हो सकती है।



**बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण**  
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY

